तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 1331 / 2017 उनवान तहसीलदार बाड़मेर बनाम जैसाराम वगैरा
	प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय गालाबेरी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 14.12.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, गालाबेरी पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र गालाबेरी पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

14.12.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय गालाबेरी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है कि मौजा खेतावास तहसील बाड़मेर में हुडों की ढाणी से हुडों की ढाणी पुराना कदीमी रास्ता कई सालों से चल रहा था। यह बारहमासी है, जिसका क्षेत्रफल 0.02.02 बीघा है। उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से होकर निकलता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज नही है, परन्तु मौके पर स्थाई रास्ता है, जो आवेदन के सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। लिहाजा उक्त मार्ग को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज करने का निवेदन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में निजी खातेदारी भूमि दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत गालाबेरी द्वारा खातेदारों की तरफ से अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि समस्त खाताधारकों को भविष्य में राजस्व ग्राम खेतावास में निर्मित गेवल सडक को भविष्य में डामरीकरण बनाये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी भूमि है, जिस पर स्थाई रास्ता है, परन्तु उक्त स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन नही हो पाया है, जिसे रास्ते के रूप में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर का आवेदन स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि को सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है रास्ते के रूप अंकित करने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौडाई (फीट में)	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	जैसाराम, मगाराम पेमाराम पि0 सताराम चूनी पत्नी सताराम, हरखू पत्नी जोधाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार सहन सम्पूर्ण भूमि एसबीबीजे कुड़ला	852 / 322	27.03	134 x 13.5 फीट	0.02.02 बीघा	बारानी दोयम

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। नक्शा में तरमीम करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

स्थायी रास्ते का विवरण

ग्रामः- खेतावास | पटवार मंडलः- शिवकर
भू.निरीक्षक वृत्त :- हरसाणी | तहसीलः- ~~बाड़मेर~~ बाड़मेर

क.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लंबाई –चौडाई (मीटर-फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकवा (बीघा में)	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1-	जेसाराम मगाराम पेमाराम पि० सताराम चूनी W/O सताराम हरखू बेवा जोधाराम कौम जाट सा० देह खातेदार रहन - सम्पूर्ण भूमि SBBJ शाखा कुड़ला	891/671	27-03	134×13½	0-02-02	

तहसीलदार, बाड़मेर | ILR हरसाणी | (देवाराम चौधरी) पटवारी-शिवकर तह. बाड़मेर

नक्शा किस्तवार
मौजा खेतावास
पैमाना - 1 इंच = 80 गज

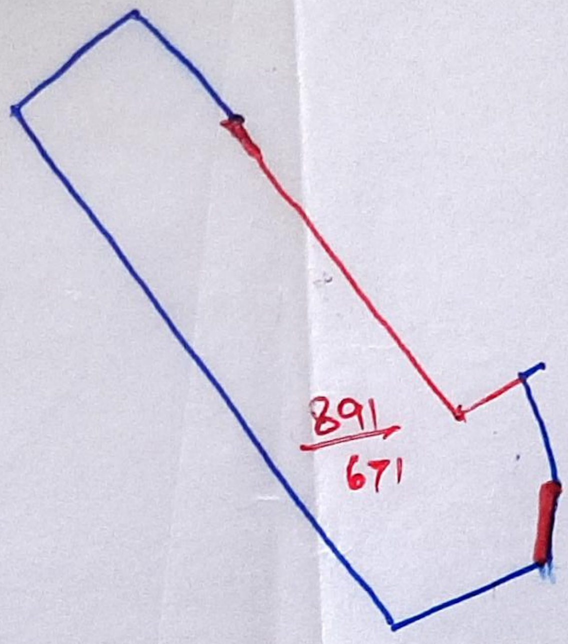

सत्यप्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 6289
दिनांक 15-5-2017

C/5

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर,

तहसीलदार, बाड़मेर